भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *488

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ

***488. श्री तमिलसेल्वन थंगा :**

डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार या अधिवक्ता समुदाय से राज्य में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है क्योंकि दक्षिण के राज्यों द्वारा बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की न्यायन्यायपीठ" के संबंध में श्री तमिलसेल्वन थंगा और डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *488 जिसका उत्तर तारीख 04.04.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे ।

2. देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय - एक नया दृष्टिकोण" शीर्षक वाली अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित करने के लिए दसवें विधि आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को दोहराया, अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में बैठने वाला अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय ।अठारहवें विधि आयोग ने 2009 में प्रस्तुत अपनी 229वींरिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक न्यायपीठ स्थापित की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार कैसेशन न्यायपीठें स्थापित की जाएं ।

3. यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास भेजा गया, जिन्होंने बताया कि मामले पर विचार करने के पश्चात् 18 फरवरी, 2010 को हुई पूर्ण न्यायालय की बैठक में पाया गया कि दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इससे पहले अगस्त, 2007 में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे ।

4. राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्ल्युपी(सी) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय के माध्यम से उपरोक्त मुद्दे को आधिकारिक निर्णय के लिए संवैधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा ।मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

****